# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2455/2023

मुकेश कुमार मीणा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नांदोती, जिला गंगापुर सिटी।
4. श्री विरेन्द्र राज चौहान, एएओ–II, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

**आदेश की दिनांक** : 29.09.2023

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी सहायक लेखा अधिकारी–द्वितीय के पद पर कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 20.09.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नादौती से न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, करौली के पद पर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2023 एवं 20.01.2023 के द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण, स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि वित्त विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 08.03.2017 जारी किया गया है, जिसमें यह प्रावधान रखा गया है कि साधारणतया 4 वर्ष से पूर्व स्थानांतरण नहीं किया जाये, परंतु अपीलार्थी का स्थानांतरण 1 वर्ष की अवधि में ही कर दिया गया है, जो गलत है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। जहां तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय

विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 में यह प्रावधान रखा गया है कि अत्यावश्यक प्रकृति के स्थानांतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति के पश्चात किये जा सकेंगे। वर्तमान आलौच्य आदेश दिनांक 20.09.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2022 दिनांक 20.09.2023 के क्रम में राज्यहित में जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग एवं वित्त विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री ही है। ऐसे में आलौच्य आदेश मुख्यमंत्री की अनुमति पश्चात जारी किया जाना प्रकट होता है। जहां तक 4 वर्ष से पूर्व स्थानांतरण किये जाने के संबंध में अपीलार्थी का तर्क है तो इस संबंध में हमारे मत में अपीलार्थी द्वारा बताये गये परिपत्र दिनांक 08.03.2017 में सामान्य स्थिति में 4 वर्ष से पूर्व स्थानांतरण नहीं किये जाने का प्रावधान है एवं उक्त परिपत्र में यह भी प्रावधान है कि विशिष्ट परिस्थितियों में 4 वर्ष से पूर्व स्थानांतरण किया जा सकता है। वर्तमान स्थानांतरण राज्यहित में जारी किया गया है। ऐसे में हम स्थानांतरण आदेश में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)